रक्षा मंत्रालय या डाक तार विभाग के अधीनस्थ तथा संबद्ध कार्यालयों आदि के बारे में भी ऐसी ही स्थिति होगी।

5. पुरस्कार देने के लिये मापदंड :

(क) मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जायेंगे। इनमें से 70 अंक हिन्दी में किए गए काम की मात्रा के लिए रखे जायेंगे और 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे।

(ख) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगाली उड़िया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर हैं।

(ग) प्रतियोगी प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में अपने हिन्दी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखेंगे। प्रत्येक सप्ताह के लेखे-जोखे पर अगले उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रतिहस्ताक्षर किए जायेंगे। यदि अनुभाग का अधिकारी स्वयं लेखा-जोखा रखता है तो कर्मचारी को लेखा-जोखा रखना आवश्यक नहीं होगा।

(घ) एक वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रतियोगी हिन्दी में किए गए अपने काम का लेखा-जोखा प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के माध्यम से मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करेगा। यदि प्रतिहस्ताक्षर करने वाला अधिकारी या विभाग प्रमुख स्वयं पूर्णतय निगरानी रखता है और लेखा-जोखा रखता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी और उसे ब्यौरा देना होगा।

6. मूल्यांकन समिति :

मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी प्रभारी संयुक्त सचिव, संगठन और पद्धति के प्रभारी अवर सचिव और वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अधिकारी इस समिति के सदस्य हो सकते हैं। संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष हिन्दी अधिकारी और एक अन्य राजपत्रित अधिकारी या राजभाषा अधिकारी इसके सदस्य हो सकते हैं। तथापि विभिन्न संबंधित कार्यालयों में अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार समिति के गठन में परिवर्तन किया जा सकता है।

**Kidnappings by the terrorists**

1674. SHRI KAPIL VERMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of kidnappings of civil servants, company officials and their family members by the terrorists all over the country during the last three months;

(b) the steps taken to get them released; and

(c) the measure being taken to meet this challenge?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**गया में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव**

1675. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में गया में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने बोध गया के ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व के बावजूद भी इस प्रस्ताव की उपेक्षा की है जबकि उसने बिहार के अन्य स्थानों पर दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्र खोले हैं ;